न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 905 सन 2019
अनवान :–

1. सुभाषचन्द्र पुत्र कालुराम जाति जाट साकिन किकरांली तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. कालुराम पुत्र प्रेमाराम जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 31/07/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा किकराली के खता संख्या 22/19 की कुल 13.1520हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के शान्ति पत्नि प्रेमाराम के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के वादी की दादी का देहान्त हो चुका है जिसके एक मात्र वारिस वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के वादी एक मात्र पुत्र सन्तोन है जो वादी की दादी शान्ति पत्नि पेमाराम के नाम से दर्ज भूमि के हकदार है इसलिये वादी की दादी के नाम से दर्ज भूमि उनके देहान्त होने के वाद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के हकदार है

वाद भूमि जो वादी की दादी शान्ति पत्नि पेमाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा शान्ति पत्नि पेमाराम के देहान्त होने के बाद पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की शान्ति पत्नि पेमाराम जो वादी की दादी है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि शान्ति पत्नि पेमाराम के नाम से दर्ज जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ,जो वादी के पिता है एवं वादी है अर्थात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 है दोनो बहिब के हकदार है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 52 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा किकराली के खताा संख्या 22/19 की कुल 13.1520हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के शान्ति पत्नि प्रेमाराम के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के वादी की दादी का देहान्त हो चुका है जिसके एक मात्र वारिस वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के वादी एक मात्र पुत्र सन्तोन है जो वादी की दादी शान्ति पत्नि पेमाराम के नाम से दर्ज भूमि के हकदार है इसलिये वादी की दादी के नाम से दर्ज भूमि उनके देहान्त होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के हकदार है

वाद भूमि जो वादी की दादी शान्ति पत्नि पेमाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा शान्ति पत्नि पेमाराम के देहान्त होने के बाद पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा किकराली के खताा संख्या 22/19 की कुल 13.1520हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के शान्ति पत्नि प्रेमाराम के नाम सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के अनुसार वाद भूमि शान्ति पत्नि पेमाराम के नाम से दर्ज हैक वादी के दादी शान्ति का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिस उसका पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 एवं पैतृक सम्पति होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र वादी जायज व कानुनी वारिसान है वाद भूमि वादी की दादी शान्ति के नाम से दर्ज होने के कारण हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में जिसमें वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के हकदार है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जा चुका है

वादी के वाद को प्रतिवादी के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 22/19 की कुल 13.1520हैक भूमि में शान्ति पत्नि पेमाराम के नाम से 1/2 हिस्सा दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31/08/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सुभाषचन्द्र पुत्र कालुराम जाति जाट साकिन किकरांली तहसील नोहर

वादी

बनाम

1 कालुराम पुत्र प्रेमाराम जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 905 सन 2019 निर्णय दिनांक– 31/08/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 22/19 की कुल 13.1520हैक भूमि में शान्ति पत्नि प्रेमाराम के नाम से 1/2 हिस्सा दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो बहिव के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/08/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner